तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 32/2025 बअनवान कानसिंह वगैरा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

आदेश

दिनांक 31.07.2025

उपस्थितिः—

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी।

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप.। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध हैं। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। हस्तगत प्रकरण के वादग्रस्त आराजी में से सेटलमेंट के समय तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलांट के हिस्से में से भूमि कम कर दी गई है। जिसका राजस्व अधिकारियों को कोई हक नहीं था। अपीलाधीन आदेश छपा—छपाया आदेश पारित किया गया है। जो गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलांट द्वारा लगातार हस्तगत आराजी का लगान अदा किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति परिवर्तन करने करने पर आमादा हैं। अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जावे।मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट केवल अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज—काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। जो की राजकीय भूमि है। जिसमें किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उभयपक्ष

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी

की उपस्थिति में ही विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। प्रश्नगत आवेदन द्वारा चाहा गया अनुतोष की आराजी राजकीय भूमि होने से सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रवाली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

31/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर